प्रतिलिपि - निर्णय

CA- 52198/24

1

दांडिक अपील क्रमांक 158/2024

न्यायालयः—पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल म.प्र.

(समक्षः— प्रहलाद सिंह कैमेथिया)

Registration No. 158/2024
Filling No.8386/2024
CNR No. MP04010-10377-2024
Filling Date 18-03-2024

[redacted]

—अपीलार्थी

::::विरूद्ध::::

01— [redacted]

02— [redacted]

03— [redacted]

04— [redacted]

—प्रत्यर्थीगण

केवल अधिवक्ता उपयोग हेतु
न्यायालयीन कार्यवाही हेतु मान्य नहीं
(न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के
अनुसार न्याय शुल्क अदायगी उपरान्त ही
न्यायिक कार्यवाही में ग्राह्य होगी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला भोपाल श्रीमती शीला मैना यादव के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण कमांक (R.C.T. No.6809905/2016, Filling No.27049/2016, CNR No. MP0401-010212-2016 & Filling Date 06/09/2016) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा महिला थाना विरूद्ध अनुपम हाकसर व अन्य अंतर्गत धारा 498ए एवं 506 भाग 2 में घोषित निर्णय दिनांक 29.02.2024 से उद्भूत दांडिक अपील।

पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश (म.प्र.)

अपीलार्थी द्वारा	:—	श्री हरीश मेहता, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 01 व 02 द्वारा	:—	श्री देवेन्द्र शुक्ला, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 03 द्वारा	:—	श्री सतीश सिमैया, ए.जी.पी.।

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

CANCELLED

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय जिला न्यायालय भोपाल (म.प्र.)

//निर्णय//
(आज दिनांक 12/12/2024 को घोषित)

01. यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला भोपाल श्रीमती शीला मैना यादव के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण कमांक (R.C.T. No.6809905/2016, Filling No.27049/2016, CNR No. MP0401-010212-2016 & Filling Date 06/09/2016) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा महिला थाना विरूद्ध [redacted] व अन्य अंतर्गत धारा 498ए एवं 506 भाग 2 में घोषित निर्णय दिनांक 29.02.2024 में अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 498ए एवं 506 भाग 2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है, से व्यथित होकर प्रकरण की फरियादिया/आहत [redacted] ने धारा 372 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई है।

02. निर्णय के आगे के चरणों में अपीलार्थी को फरियादिया एवं प्रत्यर्थीगण कमांक 01 लगायत 03 को अभियुक्तगण एवं प्रत्यर्थी कमांक 04 को अभियोजन के नाम से संबोधित किया जावेगा।

03. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया श्रीमती [redacted] ने महिला थाना भोपाल में उपस्थित होकर इस आशय की प्र.पी.01 की लिखित शिकायत की कि वह वर्तमान में अपने माता पिता के साथ भोपाल में निवास कर रही है उसका विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27 नवम्बर 2015 को भोपाल में सम्पन्न हुआ था और उस समय उसकी तबियत खराब होने से सभी की सहमति से उक्त विवाह से संबंधित सप्तपदी 01.12.2015 को इंदौर में सम्पन्न हुई तथा वह विवाह के पूर्व नौकरी करती थी किंतु उसके पति ने उससे कहा कि उन दोनों को दिल्ली में रहना है इस कारण नौकरी छोड़ दो तो उसने उसके पति की

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

बातों का विश्वास कर नौकरी छोड़ दी।

04. अभियोजन कहानी अनुसार शादी के बाद उसे उसके पति दिल्ली नहीं ले जाना चाहते थे और उसके सास ससुर व पति सभी लोगों ने उसे दिल्ली नहीं भेजा और बीमारी का बहाना करते रहे और सास ससुर ने उससे 50 लाख रूपये की मॉग के संबंध में वे सभी लोग उसे परेशान करने लगे और उसके पति ने उससे कहा वह जब तक अपने माता पिता से 50 लाख रूपये उसके व्यापार के लिए नहीं लाती है तब तक वह उसे दिल्ली नहीं ले जायेगा। इसी बात को लेकर उसे यह सब लोग परेशान कर रहे थे तो वह स्वयं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने पर उसके पति काफी नाराज हुए और यह कहा कि जब तक वह 50 लाख रूपये लेकर नहीं आएगी वह उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा और इस दौरान उसने उसे चप्पल से भी मारा।

05. अभियोजन कहानी अनुसार जब वह दिल्ली में रह रही थी तो उसके पति ने एक कमरे और अलमारी में ताला लगाकर रखा था और किसी कारण से जब उसे उसने खुला देखा तो **उसमें उसने लेडीज कपड़े और लेडीज अंतःवस्त्र एवं एक [redacted] का विजीटिंग कार्ड मिला इस बारे में उसने अपने पति से पूछा तो उन्होंने उसको काफी डराया धमकाया और कहा कि वह कौन होती है पूछने वाली और इसी बात पर से उसे काफी तंग किया।** उसके पति 50 लाख रूपये नहीं लाने पर उसके साथ काफी अत्याचार कर रहे थे और उसे उन पर शक था कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकते है इसी संबंध में उसे चाय दी गई जिससे में बेहोशी की हालत में हो गई और वह काफी डर गई, **इस बीच [redacted] का भी फोन आया और उस पर उसने उसके पति से पूछा तो उसके ने उसके**

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपि विभाग जिला न्यायालय भोपाल (म.प्र.)

साथ काफी बुरा बर्ताव किया। यहाँ तक 50 लाख रूपये की माँग पूरी न करने के कारण उसकी बिना सहमति के बातचीत को रिकार्ड की एवं उससे यह कहा कि वह उसका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और वह अपने प्लान में सफल हो गया है।

06. अभियोजन कहानी अनुसार उसे उसके पति के घर में उसके दवा के पर्चे भी मिले जिसमें उसके पति की मानसिक अवसाद एवं अन्य दवायें भी मिली, इस संबंध में उसे शादी से पहले नहीं बताया गया था और धोखा करके यह विवाह किया है। शादी के बाद से लेकर अभी तक उन लोगों के पति पत्नी के संबंध नहीं हुए और उसके पति हमेशा इस बात से कतराते रहते थे और दहेज की मॉग पर जोर देते रहते थे। उसके पति से वह हमेशा डरी रहती थी उसे कहीं उसके पति गलत चीज न दे दें इस बावत् फ्रिज में रखी हुई चीज पर उसका नाम लिखा हुआ था जिससे वह काफी डर गई और इस बात की जानकारी उसने अपने माता पिता को दी।

07. अभियोजन कहानी अनुसार उसके पति 05 अप्रैल 2016 को उसे वगैर बताये ही भोपाल चले गए एवं भोपाल में उसके माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया। **भोपाल से वापस आने पर उसके पति दिनांक 07 अप्रैल 2016 को अपनी मामी और मामी के पुत्र के साथ घर पर आये और उसे काफी परेशान किया** इस संबंध में उसे काफी डराया धमकाया और उसने पुलिस को फोन करने से संबंधित बात की तो उसके पति घर छोड़कर चले गए। उस समय पुलिस आ गई परन्तु मैं काफी डरी हुई थी और पुलिस ने थाने आने को कहा था इस पर उसने अपने माता पिता को फोन किया कि वह उसे दिल्ली से आकर ले जाये।

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
सत्रहवाँ अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

08. अभियोजन कहानी अनुसार उसके माता पिता फिर दिल्ली आये थे दिल्ली आने पर उसके माता पिता ने उसे यह बताया कि **दिनांक 07 अप्रैल 2016 को उसके पति के कहने पर उसके माता पिता, बहन एवं अन्य रिश्तेदार भोपाल में उसके माता पिता से मिलने आये और कहा कि उकी बेटी दिल्ली में रहती है और उसके साथ वे कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं** और यदि उन लोगों ने 50 लाख रूपये की उनकी मांग पूरी नहीं की तो उनकी बेटी जिन्दा नहीं बचेगी। इसी डर से उसके माता पिता तुरन्त ही दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन लोगों ने इस संबंध में शिकायत की परन्तु अभी तक कोई भी उसे न्याय नहीं मिला है। वह काफी डर गई थी और अपने माता पिता के साथ उक्त घर में ताला लगाकर आ गई उसका स्त्रीधन एवं दहेजी सामान ससुराल वालों के पास है।

09. अभियोजन कहानी अनुसार उपरोक्त सारी बातों के संबंध में उसने विस्तृत रूप से एक शिकायत दिनांक 12 अप्रैल 2016 को सी.ए.डब्लु. सेल सेक्टर–9 द्वारका नई दिल्ली में की जिसमें की जा रही काउंसलिंग की कार्यवाही के दौरान उसके पति, सास और मामा, मामी और उनके पुत्र द्वारा उसे काफी तंग किया गया, दिल्ली में की जा रही काउंसलिंग की कार्यवाही पर उसे विश्वास नहीं हो रहा है एवं किसी न किसी प्रभाव में आकर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है और वह अपना बचाव करने के उद्देश्य से कानूनी सलाह लेकर उसका पति काम कर रहा है इसी दौरान उसके पति द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस भी भेजा गया जिसका उत्तर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया।

10. अभियोजन कहानी अनुसार उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया है इस संबंध में जो दिल्ली में

12/12/2024
(प्रहलाद सिं. कथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

CANCELLED

shoneekapoor.com

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपि विभाग जिला न्यायालय भोपाल (म.प्र.)

कार्यवाही हुई उससे वह संतुष्ट नहीं है और वह अपने माता पिता के पास भोपाल में रह रही है और वे सारी कार्यवाही एवं जो घटनाक्रम हुआ उसमें वह दहेज लोभी उसके पति, सास एवं ससुर के खिलाफ कार्यवाही चाहती हैं। उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 अंतर्गत धारा 498ए, 34 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

11. विवेचना के दौरान आहत/फरियादी जप्ती पत्रक अनुसार दस्तावेज जप्त किये गये व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये और अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 498ए, 34 भा.द.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तात्कालिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री अशोक भारद्वाज के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

12. तात्कालिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री अशोक भारद्वाज के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए एवं धरा 506 भाग2 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए तो विरचित आरोपों से अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की जिस पर अभियुक्तगण की प्ली लेखबद्ध की गयी तथा आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष [redacted] (अ.सा.01), [redacted] (अ.सा.02), [redacted] (अ.सा.03), [redacted] (अ.सा.04) के कथन कराए गए और उसके पश्चात् अभियुक्तगण का प्रश्नावली के माध्यम से अभियुक्त परीक्षण किया गया तथा अभियुक्त परीक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया है।

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमथिया)
अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

13. विचारण उपरांत उभयपक्ष के तर्क सुनकर निर्णय पारित किया गया जिसमें अभियुक्तगण को फरियादी/आहत के आरोप के संबंध में धारा 498ए एवं 506 भाग 2 भा.द.सं.. के आरोप से दोषमुक्त किया गया है, जिससे फरियादिया द्वारा व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

14. अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस और उसमें दर्शाये गये तथ्य व न्याय निर्णयों के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया है और जो निर्णय अभियुक्तगण की ओर से लिखित तर्क के साथ प्रस्तुत किये है वह निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होते है और फरियादिया [redacted] के कथनों में यह विरोधाभाष आये है और धारा 161 द.प्र.सं. के कथनों के आधार पर किन तथ्यों को बढाचढाकर कथन किया है यह साक्षिया के प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट नहीं किया है। जबकि फरियादिया ने अपने कथन में स्पष्ट बताया है कि दिनांक 05.04.2016 को अभियुक्त उसके घर पर आया और 07 अप्रैल 2016 को एक पारिवारिक मीटिंग रखी गई और उस पारिवारिक मीटिंग में 50 लाख रूपये की मांग की गई जिसे बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई जिसका उल्लेख विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में नहीं किया गया और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने में गंभीर भूल की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 29.02.2024 को अपास्त करते हुये अभियुक्तगण को धारा 498ए, 506 भाग 2 भा.द.सं. में दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना की गई।

12/12/2024

(... ... ...माथवा)
(... अपर सत्र न्यायाधीश
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपि विभाग जिला न्यायालय भोपाल (म.प्र.)

15. अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से अंतिम तर्क व अपील मेमों में उल्लेखित आधारों की पुष्टि में 2024(3)जे.एल.जे. 107 विजय उर्फ पप्पू वि. म.प्र.राज्य, 1999(2) जे.एल.जे.354 रमनीक उर्फ रामेश्वर वि. म.प्र.राज्य, 2012(1) एस.सी.सी. (Cri) 218 सु.को. तकदीर शमशुद्दीन शेख वि. स्टेट आफ गुजरात व अन्य, 2014 सी.आर.एल.जे. 3781 सु.को. कुण्डप्पा यंगटप्पा पुजारी वि. स्टेट आफ कर्नाटका, 2008(2) जे.एल.जे.19 लखनलाल वि. स्टेट आफ म.प्र., 1994 ए.आई.आर. (एस.सी.) 1418, स्टेट आफ वेस्ट बंगाल वि. ओरीलाल जायसवाल व अन्य, 2005 सी.आर.एल.आर. (एम.पी.) 60 स्टेट आफ म.प्र. वि. श्यामसुंदर व अन्य, 2009(1) डीएमसी 657(सु.को.) सतीश कुमार बत्रा वि. स्टेट आफ हरियाणा, 2004 ए.आई.आर.2909 एस.सी. मोतीलाल वि. स्टेट आफ एम.पी., 1996 सी.आर.एल.जे. 975 श्रीमती चन्द्रादेवी वि. राज्य, 1989 सी.आर.एल.जे. 242 गिरजा शंकर वि. स्टेट आफ म.प्र., 1989 सी.आर.एल.जे. 809 बजीर चन्द्र वि. हरियाणा राज्य, 2021 ए. आई.आर. आनलाईन 18 मोहन राज वि. राज्य, 2020(2) सी.आर.एल.आर. (एम.पी.) 375, जमीन खान व अन्य वि. स्टेट आफ म.प्र. के तथ्य एवं परिस्थितियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया।

16. अपीलार्थी/फरियदिया द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का अभियुक्तगण द्वारा तर्क के दौरान विरोध कर कथित किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व दण्डादेश साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन कर अभियुक्तगण को विधि अनुसार दोषमुक्त किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रखा जाये।

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

CA-52198/24

17. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

क्या विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषमुक्ति का पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 29.02.2024 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

18. [redacted] **परिसाक्ष्य दी है कि** वह आरोपीगण [redacted] एवं [redacted] को जानती है, [redacted] उसके पति, [redacted] उसकी सास एवं [redacted] ससुर है। उसकी शादी 27 नवंबर 2015 को आरोपी [redacted] के साथ भोपाल में हुई थी और दिनांक 27 नवबंर को तबीयत खराब होने के कारण सप्तपदी का कार्यकम सभी लोगों की सहमति से दिनांक 01.12.15 को इंदौर में संपन्न हुआ था एवं शादी के बाद उसे उसके पति इंदौर में उसके ससुराल में उसे अकेला सास—ससुर के पास छोड़कर खुद कुछ दिन बाद दिल्ली चले गये थे और वह जब अपने पति से कहती थी कि उसे भी दिल्ली लेकर चलो तो वह कोई न कोई बहाना करके टाल देते थे।

19. फरियादिया के कथन अनुसार वह डायबिटीक है उक्त संबंधी बात उसके पति व ससुराल वालों को बता दी गई थी और सबकी सहमति से उसके माता—पिता ने उसका विवाह अभियुक्त के साथ किया था। शादी में लगभग 25 लाख रूपये उसके माता—पिता ने खर्च किया था किन्तु शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे डायबिटिक होने का ताना मारते ओर ससुराल वाले उसके माता पिता के घर से 50 लाख रूपये व्यापार जमाने के लिये उससे मांगने के लिये कहते थे और जब वह अपने पति से

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

भोपाल (म.प्र.) न्यायालय

दिल्ली ले जाने के लिये कहती थी तो 50 लाख रूपये अपने माता पिता से लेकर आओ तब उसे लेकर चलेगा तो उसने अपने पति को काफी समझाया कि उसे पिताजी रिटायर्ड हो गये और उनकी तबियत ठीक नहीं रहती है इतने पैसे कहां से लेकर आयेगे। लेकिन वह नहीं समझते थे और बार बार पैसे लाने के लिये जोर देते थे।

20. उक्त साक्षी के कथन अनुसार दिनांक 12.02.2016 को वह स्वयं दिल्ली अपने पति केपास चली गई और उसके दिल्ली जाने पर उसके पति का व्यवहार अच्छा नहीं था वह बार बार उग्र हो जाते और 50 लाख रूपये अपने घर से लाने के लिये कहते थे और न लाने पर उसे घर से निकालने की धमकी देते थे। 17.02.2016 को उसके पति पुनः 50 लाख रूपये अपने माता पिता के घर से लाने के लिये परेशान कर रहे थे तो उसने मना किया तो वह बहुत हिंसक हो गये ओर उसे चप्पल से मारा था लेकिन उसने अपनी शादी बचाने के लिये उक्त बात की कहीं शिकायत नहीं की।

21. उक्त साक्षिया के कथन अनुसार जब वह दिल्ली में रहती थी तो उसके पति एक अलमारी और कमरे में लॉक करके रखते थे और एक दिन वह लाक करना भूल गये तो उसने देखा कि हमेशा बंद रहने वाली अलमारी में बहुत से लेडिज कपडे व लेडीज अंडरगारमेंट व एक लडकी [redacted] का विजिटिंग कार्ड जिसमें उसकी ससुराल का पता लिखा हुआ था वह देखकर काफी हैरान हो गई और **उनके बारे में पति से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया है कि उक्त सारे कपडे व लेडीज अंडरगारमेंट** [redacted] **के है लेकिन इसके अलावा कुछ भी बताने से इंकार कर दिया और कहा कि तुम कौन होती हो पूछने वाली।**

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
पच्चीसवां अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

CH-52198/22

22. उक्त साक्षिया के कथन अनुसार दिनांक 30.03.2016 को उसके पति ने उसे उसके माता पिता के घर से 50 लाख रूपये लाने के लिये पुनः जोर दिया और कुछ समय बाद ही उसके पति उसके लिये चाय बनाकर लाये और पीने के लिये दिया तो उसने उनकी बात पर विश्वास कर चाय पी ली जिसके पीने के बाद उसकी हालत बेहोशी जैसी होने लगी और वह सो गई और जब उसे होश आया तो वह काफी डरी हुई थी उसे लगा कि उसे मारने की नियत से चाय में कुछ मिलाकर दिया गया है क्योंकि पूर्व में भी उसके पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसी दिन 30 मार्च 2016 को नेहा रेहानी का उसके पास फोन आया और उसने उससे मिलने के लिये कहा लेकिन उसने मना कर दिया। जब उसने उक्त बात अपने पति से की तो पति बहुत गुस्सा हो गये और कहा कि तेरे खाने में कुछ मिलाकर तुझे मार डालूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।

23. उक्त साक्षिया के कथन अनुसार उसे उसके पति धमकी देते थे कि उसने उसकी बिना पते चले आडियो वीडियो रिकार्डिग कर ली है और वह उसका कुछ नहीं बिगाड सकती है और वह प्लान में सफल हो चुका है और अप्रैल के प्रथम सप्ताह 2016 में जब उसके पति घर पर नहीं थे तो उसके मेडिकल के दो पर्चे प्राप्त हुये जिसमें रैक्टाईल डिस्फिग्शन व मानसिक अवसाद की दवाईयां लिखी थी जिन्हें देखकर उसे काफी झटका लगा क्योंकि शादी के पूर्व उसे व उसके माता पिता को अभियुक्तगण ने उक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और सभी बाते छिपाकर धोखे से विवाह किया और रैक्टाईल डिस्फिग्शन के कारण ही उसके व उसके पति के मध्य पति पत्नी वाले कभी कोई संबध नहीं बने और उसके काफी

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

shoneekapoor.com

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपि विभाग जिला न्यायालय भोपाल (म.प्र.)

प्रयास के बाद भी उनके मध्य कोई संबंध नहीं रहे।

24. उक्त साक्षिया के कथन अनुसार 05 अप्रैल 2016 को उसके फ्रिज में उसे एक डिब्बा मिला जिसमें उसका नाम लिखा था और उसके अंदर पुलाव रखा हुआ था जिसे देखकर वह डर गई थी कि उस डिब्बे पर उसका नाम क्यो लिखा है और उक्त बात उसने अपने मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने उसके ससुरालवालों के साथ 7 अप्रैल 2016 को भोपाल में मीटिंग की थी लेकिन 5 अप्रैल को अचानक से ही उसके पति उसी दिन चलकर उसे बिना बताये उसके मायके भोपाल आ गये और आकर उसके माता पिता के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं किया और बोले कि 50 लाख रूपये की डिमाण्ड पूरी नहीं की तो अच्छा नहीं होगा इन सब बातों से उसके माता पिता काफी डरे हुये थे इसके बाद उसके पति 7 अप्रैल 2016 को अपनी मामी [redacted] व मामी के बेटे [redacted] को लेकर दिल्ली वाले घर आये वहां तीनों ने उसके साथ काफी दुव्यर्वहार किया और डराया व धमकाया ओर कहा कि यहां से चले जाओां और उसके साथ झूमाझटकी की तो उसने पुलिस को इन्फार्म किया तो पुलिस के आने से पहले ही वह तीनों वहां से चले गये तो पुलिस ने थाने आकर रिपोर्ट करने को कहा था।

25. उक्त साक्षिया के कथन अनुसार दिनांक 07.04.2016 को उसके सास, ससुर एवं अन्य रिश्तेदार एवं उसके माता पिता के घर आये और उन्हें काफी डराया व धमकाया और कहा कि अगर 50 लाख रूपये की डिमाण्ड पूरी नहीं करोगे तो उनकी बेटी को मार देंगे जिससे उसके माता पिता काफी डर गये थे और दिल्ली आ गये और उसके माता पिता ने उसका ईलाज कराया और ससुराल वालों से बात करने की काफी कोशिश

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
पुनीसवां अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला फिर उसने 12 अप्रैल 2016 को सी.ए.डब्ल्यू सहित दिल्ली में कम्प्लेंट दायर की जहां उसकी मीडिएशन एवं काउंसलिंग चल रही थी और उसने भोपाल महिला थाने में कम्लेंट दायर की थी और सी.ए.डब्ल्यू दिल्ली में सूचना भेज दी कि उसने भोपाल में मामला दर्ज कराया है दिल्ली वाली कम्प्लेंट को बंद कर दे तो 17 मार्च 2016 को उसकी एफआईआर महिला थाने में लेख की थी जो प्र.पी.01 है।

26. उक्त साक्षिया के कथन अनुसार उसने पुलिस वालों को शादी का कार्ड, रंगी फोटो व दहेज में दिये गये सामान की सूची दी थी जिसकी लिखापढी प्र.पी.03 है और उसका व उसके पति व ससुराल वालों का परामर्श संबंधी दस्तावेज प्र.पी.06 और दिल्ली में प्रस्तुत कम्पलेंट की सत्यापित प्रति व दवाई के पर्चे, नेहा रेहानी का विजिटिंग कार्ड प्र.पी.07 लगायत प्र.पी.10 व अभियुक्तगण का उच्च न्यायालय में आवेदन संबंधी दस्तावेज प्र.पी.11 दिये थे और पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी।

27. प्रतिपरीक्षण में साक्षिया इस बात को गलत बताती है कि जब उसकी व अभियुक्त कीबहस होती थी तब अनुपम उस पर यह आक्षेप लगाता था कि उसने उन्हें पहले डायबिटिज के बारे में नहीं बताया। स्वतः में कहती है कि वह यह कहते थे कि वह उसे पसंद नहीं है क्योंकि वह डायबिटिक है। इस बात के गलत बताती है कि वह व उसके परिवार वाले उसके रिश्तेदरों से भी यह बात छिपाकर रखते थे कि उसके टाईप 1 डायबिटिज है इसलिये रिश्तेदारों को नहीं बताया था कि उसे शादी के दिन डायबिटिज अटैक आया था।

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपि ... न्यायालय
भोपाल (म.प्र.)

28. प्रतिपरीक्षण में साक्षिया यह स्वीकार करती है कि ससुराल में रहने के दौरान उसके व उसके पति [redacted] के साथ पति पत्नी जैसे संबध स्थापित नहीं हुये। इस बात को गलत बताती है कि जब उसे [redacted] के बारे में जानकारी लगी तभी उसने दिल्ली में शिकायत की थी और उसे अप्रैल 2016 में अपने पति के अंन्य महिला से संबंध होने की जानकारी लगी थी इसलिये उसी ने उसके चलते शक के कारण रिर्पोट लिखा दी और गुस्से में आकर उसने अपने पति व ससुराल वालों के विरूद्ध 50 लाख रूपये दहेज मांगने वाली बात अपने आवेदन में लेख करा दी और यह स्वीकार करती है कि दिल्ली पुलिस ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई केस नहीं बनाया था।

29. प्रतिपरीक्षण में साक्षिया यह स्वीकार करती है कि उसने जो भरण पोषण संबंधी मामले पेश किये है उसने उसने अपने पति की आय डेढ लाख रूपये प्रतिमाह बतायी है और डेढ लाख रूपये की आय के हिसाब से सलाना इंकम 18 लाख रूपये होती है। **यह भी कहती है कि उसके पति ने उसे यह नहीं बताया था कि उसे कौन सा बिजनेस करना है और किस बिजनेस के लिये 50 लाख रूपये की जरूरत है**। इस बात को गलत बताती है कि उसके पति व ससुराल वालों ने कभी उससे 50 लाख रूपये की मांग नहीं की और उसने उक्त राशि अपने मन से लेखबद्ध करायी है और अभियुक्तगण के विरूद्ध उसने असत्य आधारों पर भोपाल में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और इस बात को गलत बताती है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच दहेज एवं उसके साथ कूरता सबंधी कोई घटना नीं पायी थी इसलिये कोई कार्यवाहीं नहीं की थी और उसने दिनांक 17.08.24 को आरोपीगण के विरूद्ध असत्य आधार पर महिला थाना भोपाल में

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

30. प्रतिपरीक्षण में साक्षिया इस बात को गलत बताती है कि वह अपने पति पर अन्य महिला से संबंध होने का शक करके अपने पति से विवाद करती थी किन्तु यह स्वीकार करती है कि उसने अपने घरेलू हिंसा के आवेदन में लेख कराया है कि उसके पति को ऐसी बीमारी है कि वह संबंध स्थापित नहीं कर सकते है स्वतः में कहती है कि उसे मेडिकल पर्चे मिले थे। यह भी स्वीकार करती है कि उसे डायबिटिज है किंतु इस बात को गलत बताती है कि इस कारण उसे उसने भी अपने पति के साथ संबंध स्थापित नहीं किये और यह स्वीकार करती है कि मारपीट के संबंध में उसका कोई मेडिकल नहीं है।

31. [redacted] **अ.सा.02** व [redacted] **अ.सा.03** जो फरियादिया [redacted] के माता पिता है उन्होंने फरियादिया [redacted] अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि करने का प्रयास करते हुये सारतः यहीं बताया है कि उनकी बेटी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार [redacted] हुई थी और शादी के बार उनकी बेटी [redacted] इंदौर व दिल्ली में रही। इस दौरान उनकी बेटी को ससुराल वालों ने परेशान किया और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और ससुराल वाले 50 लाख रूपये मांगते थे तो उन्होंने 7 अप्रैल 206 को एक पारिवारिक मीटिंग रखी जिसमें [redacted] के माता पिता, बहिन, मामा व अन्य रिश्तेदार उनके घर भोपाल आये तब [redacted] के माता पिता ने उन्हें धमकाया कि वे उनके 50 लाख रूपये की डिमांड पूरी क्यों नहीं कर रहे है और उनकी बेटी दिल्ली में है उसके साथ कुछ भी हो सकता है।

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

32. उक्त दोनों साक्षीगण के अनुसार उसके बाद दिनांक 07.04.2016 को हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे व अपनी बेटी को साथ में लेकर आये। आरोपीगण ने उनकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था और इसके अतिरिक्त [redacted] अ.सा.02 का यह भी कथन है कि 7 तारीख से पहले दिनांक 05.04.2016 को [redacted] उनके घर बिना बताये आया था उसका व्यवहार अजीब से था घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने एक भी नहीं सुनी और कहा कि 50 लाख रूपये का इंतजाम नहीं कर रही हो तो अच्छा नहीं होता और [redacted] अ.सा.03 ने भी यही कहा कि दिनांक 07 अप्रैल 2016 से पहले 05 अप्रैल को अनुपम बिना किसी सूचना के अचानक उनके घर आया और उसने उनके साथ अभ्रद व्यवहार किया जिसे समझाने की कोशिश की तो उसने एक नहीं सुनी और कहा कि 50 लाख रूपये इंतजाम नहीं कर रहे है और आरोपी वहां से चला गया और **जब उनकी बेटी अपने सास ससुर के साथ इंदौर में रहती थी तो इस दौरान भी उसके सास ससुर ने उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।**

33. [redacted] (अ.सा.02) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी बेटी को विवाह के पूर्व से ही टाईप 01 डायबिटिज है किन्तु इस बात को गलत बताया है कि उन्होनें बेटी को डायबिटिज होने की जानकारी ससुराल वालों को नहीं दी थी और उनकी बेटी को दिनांक 27.11.2015 को गंभीर डायबिटिक अटैक आया था तब उन्हें उनकी बेटी की डायबिटिक संबंधी जानकारी मिली थी और उन्हें धोखे में रखकर विवाह तय किया था और उनकी बेटी का 01 अप्रैल को विवाह संस्कार नहीं हुआ था। यह स्वीकार करती है कि विवाह के बाद उसकी बेटी अभियुक्त के

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमथिया)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

C4-52198/24

निवास स्थान दिल्ली में थी स्वतः में कहती है कि फरवरी में स्वयं के खर्चे से दिल्ली गई थी। इस बात को गलत बताती है कि अभियुक्त व उसकी बेटी का कभी कोई विवाह नहीं हुआ और उन्होंने असत्य आधारों पर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी है।

34. [redacted] (अ.सा.03) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवाह के कार्ड में विवाह तारीख 27 नवम्बर 2015 लेख है वह जो 01 दिसम्बर 2015 को विवाह संस्कारित होना बता रहा है उसके संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य थाने में पेश नहीं किये है इस बात को गलत बताता है कि उसकी बेटी का अभियुक्त अनुपम से कभी कोई विवाह संस्कारित नहीं हुआ। इस बात को गलत बताता है कि उसकी बेटी के डायबिटिक होने की जानकारी अभियुक्तगण को नहीं दी गई थी और बेटी को दिनांक 27.11.15 को गंभीर डायबिटिक अटैक आया था तब अभियुक्तगण को इस बात की जानकारी हुई थी और उन्होंने धोखे में रखकर विवाह तय किया था। इस बात को गलत बताता है कि आरोपीगण ने कभी दहेज की मांग नहीं की लेकिन यह स्वीकार करता है कि दिनांक 07.04.2016 को उसकी बेटी ने अभियुक्तगण की कभी कोई शिकायत नहीं की।

35. [redacted] **अ.सा.04 ने परिसाक्ष्य दी है कि** दिनांक 17.08.2016 को महिला थाने में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को उसने फरियादिया [redacted] द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज की मांग व शारीरिक व मानसिक कूरता के संबंध में प्र.पी.01 की शिकायत की थी और उसके आधार पर प्र.पी.02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी और उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह [illegible])
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

भोपाल (म.प्र.)

36. प्रतिपरीक्षण में साक्षिया स्वीकार करती है कि विवेचना के दौरान उसे विवाह दिनांक 01.12.2015 को सम्पन्न होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य फरियादिया द्वारा प्रदान नहीं की और प्र.पी.5 के दस्तावेज में विवाह दिनांक 27.11.2015 भोपाल में सम्पन्न होना लेख है तथा प्र.पी.01 के आवेदन में विवाह दिनांक 01.12.2015 को इंदौर में सम्पन्न हुई। इस बात को गलत बताती है कि फरियादिया के पिता भोपाल में प्रभावशाली व्यक्ति थे और उसने असत्य आधार पर प्रस्तुत किये गये आवेदन पर प्र.पी. 02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर दी। यह स्वीकार करती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त अनुपम का किसी अन्य महिला से प्रेम संबंध होने के शक संबंधी बात लेख की गई है किन्तु इस बात को गलत बताती है कि फरियादिया द्वारा अनावेदक पर शक के चलते बढाचढाकर दहेज की झूठी मांग लेख करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी थी और इस बात को भी गलत बताती है कि उसने फरियादी व उक्त साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख किये हैं।

37. अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से मुख्य रूप से इस बात पर अधिक बल दिया गया कि प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से फरियादिया [redacted] व अन्य साक्षीगण के द्वारा अपने कथनों में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये दहेज के मांग के आक्षेपों को कोई चुनौती नहीं दी है इसलिये उक्त तथ्य प्रमाणित माने जावेगे, जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है लेकिन अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से दिये गये उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रहते हैं क्योंकि न्याय दृष्टांत <u>**जवाहर सिंह एवं अन्य वि. म.प्र.राज्य एआईआर 1951 एसी.सी. 1973**</u> वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि केवल

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथिया)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

Cr-52198/24

प्रतिपरीक्षण ही साक्षी की विश्वसनीयता परखने का एकमात्र साधन नहीं है और मुख्य परीक्षण पर केवल इसलिये विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया; मुख्य परीक्षण का भी विश्लेषण करना होगा।

38. अभियोजन कहानी अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्व उसका मामला फरियादिया [redacted] के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने के संबंध में मुख्य रूप से तीन आधारों पर आरोप लगाये है जो निम्नानुसार है:-

01- अभियुक्तगण द्वारा उससे दहेज की मांग में 50 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति किये जाने के लिये प्रताडित किया।

02- अभियुक्त का [redacted] नाम की लडकी से प्रेम संबंध है।

03- अभियुक्त का वैवाहिक संबंध स्थापित करने में असमर्थ होना।

39. अब यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की संवीक्षा करते हैं तो फरयादिया [redacted] अ.सा.01 जिसने न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि उसके ससुराल वाले उसके डायबिटिक होने का ताना मारते थे और माता पिता के घर से 50 लाख रूपये व्यापार जमाने के लिये मांग करते थे और जब उसने अपने पति से दिल्ली ले जाने के लिये कहा तो वह कहते थे कि पहले 50 लाख रूपये अपने माता पिता से लेकर आओ तब वह दिल्ली लेकर चलेगा और फरवरी 2016 में वह खुद ही दिल्ली अपने पति के पास चली गई और दिल्ली जाने पर उसके पति का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं रहा और उससे 50 लाख रूपये अपने घर से लाने के लिये कहते थे और 17 फरवरी 2016 को उसके पति ने पुनः 50 लाख रूपये अपने माता पिता के घर से लाने के लिये परेशान किया।

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपि विभाग जिला न्यायालय भोपाल (म.प्र.)

लेकिन 12 फरवरी 2016 को दिल्ली जाने वाली बात और 17 फरवरी 2016 को उसके पति द्वारा पुनः 50 लाख रूपये मांगने वाली बात उसके लिखित आवेदन पत्र प्र.पी.01 में लेख नहीं है।

40. जबकि [redacted] अ.सा.02 जो फरियादिया की माँ है उसने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 05 में स्वीकार किया है कि **विवाह के बाद उसकी बेटी अभियुक्त के निवासस्थान दिल्ली नहीं गई।** यद्यपि उसने स्वतः में कहा है कि वह फ़रवरी में स्वयं के खर्च से दिल्ली गई थी फिर कहती है कि बेटी को ससुराल वाले दिल्ली नहीं जाने देते थे तब अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना और भी सूक्ष्मता से किये जाने की आवश्यकता हो जाती है।

41. फरियादिया [redacted] अ.सा.01 ने अपने कथन के चरण क्रमांक 02 में यह बताया है कि शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे डायबिटिक होने का ताना मारते थे और उसके ससुराल वाले माता पिता के घर से 50 लाख रूपये व्यवसाय जमाने के लिये मांगने को कहते थे जबकि फरियादिया के लिखित आवेदन प्र.पी.01 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तगण उसे डायबिटिक होने का ताना मारते थे और न ही इस बात का उल्लेख उसके पुलिस कथन में है। इस स्थिति में फरियादिया का यह कथन कि अभियुक्तगण उसे डायबिटिक होने का ताना मारते थे उसके आवेदन प्र.पी.01 तथा पुलिस कथनों में लेख नहीं होने से महत्वपूर्ण लोप की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

42. इसी तरह फरियादिया जिसने न्यायालय के समक्ष यह बताया है कि जब वह दिल्ली में रहती थी तब उसके पति की अलमारी में बहुत सारे लेडीज कपडे व बहुत सारे लेडीज अंडरगारमेंट मिले और एक लडकी [redacted]

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

[redacted] का विजिटिंग कार्ड पर ससुराल का पता लिखा था जिसे देखकर वह हैरान हो गई और उसने अपने पति से पूछा तो उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उक्त सारे कपडे व लेडीज अण्डर गारमेंट [redacted] के है लेकिन उसके अलावा कुछ भी बताने से इंकार कर दिया और कहा कि तुम कौन होती हो पूछने वाली। जबकि प्र.पी.01 के आवेदन पत्र में ऐसा तथ्य लेख नहीं है कि उसने अभियुक्त से पूछा तो अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उक्त सारे कपडे व लेडीज अंडरगारमेंट [redacted] के है लेकिन उसके अलावा कुछ भी बताने से इंकार कर दिया बल्कि प्र.पी.01 के आवेदन में यह लेख है कि उसने अपने पति से पूछा तो उन्होंने उसे काफी डराया व धमकाया और कहा कि तुम कौन होती हो पूछने वाली जो उसके न्यायालयीन कथन से विरोधाभाषी है।

43. फरियादिया [redacted] द्वारा अपने कथन में यह बताया है कि 05 अप्रैल 2016 को उसके फ्रिज में एक डिब्बा मिला जिसमें उसका नाम लिखा था और उसके अंदर पुलाव रखा था जिसे देखकर वह डर गई तो इस संबंध में उसने अपने मम्मी पापा को बताया तो **उन्होंने उसके ससुराल वालों के साथ 07 अप्रैल 2016 को भोपाल में मीटिंग की।** वहीं दूसरी तरफ साक्षिया अपने कथन के चरण कमांक 08 में यह कहती है कि **07 अप्रैल 2016 को उसके सास ससुर एवं अन्य रिश्तेदार उसके माता पिता के घर भोपाल आये और उन्होंने काफी डराया व धमकाया और कहा कि 50 लाख रूपये की डिमांड पूरी नहीं की तो उनकी बेटी को मार देंगे** और उक्त बातों से उसके माता पिता काफी डर गये।

44. इस प्रकार फरियादिया [redacted] अ.सा.01 एक तरफ तो अपने कथन में यह कहती है कि उसके माता पिता ने ससुराल वालों के साथ

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

भोपाल (म.प्र.)

भोपाल में मीटिंग की वहीं दूसरी तरफ यह बताती है कि 07 अप्रैल को उसके सास ससुर एवं अन्य रिश्तेदार उसके माता पिता के घर आये और उन्होंने काफी डराया व धमकाया। इसके विपरीत प्र.पी.01 के आवेदन पत्र में यह लेख है कि जब उसके माता पिता दिल्ली आये तो दिल्ली आने पर उन्होंने उसे बताया कि **दिनांक 07.04.2016 को उसके पति के कहने पर उसके माता पिता बहन व अन्य रिश्तेदार भोपाल में उसके माता पिता से मिलने आये और उन्होंने कहा कि उसकी बेटी दिल्ली में रहती है उसके साथ कोई घटना कर सकते है**। लेकिन पति के कहने पर उसके ससुराल वाले अर्थात अभियुक्त के माता पिता फरियादिया के घर गये थे ऐसा उसके कथन में स्पष्टीकृत नहीं है।

45. इसी तरह [redacted] अ.सा.03 ने अपने कथन में यह कहा है कि दिनांक 07 अप्रैल 2016 को एक पारिवारिक मीटिंग रखी गई थी जिसमें [redacted] के पिता [redacted] एवं उसकी माता [redacted] व बहिन उसके मामा व अन्य रिश्तेदार उसके यहां आये थे और पारिवारिक मीटिंग में अनुपम के माता पिता ने उसे व उसकी पत्नी को धमकाया और कहा कि 50 लाख रूपये का इंतजाम नहीं कर रहे है। लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां अभियुक्तगण की फरियादिया के माता पिता से पारिवारिक मींटिग हुई तो पारिवारिक मीटिंग में फरियादिया पक्ष के अन्य रिश्तेदार भी रहे होंगे लेकिन अभियोजन की ओर से पारिवारिक मीटिंग में फरियादी पक्ष के रिश्तेदार के कथन न कराना अभियोजन कहानी एक महत्वपूर्ण संदेह को जन्म देती है। इस संदर्भ में निम्न न्यायदृष्टांत मार्गदर्शक है :–

2005 CRI. L. J. 1221 "Ganesh Y. Bhutekar v. State of

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैमथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

Maharashtra" के मामले में माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:-

"17-.........The relevancy of that type of evidence of independent persons residing in the neighbourhood is necessarily required when the Court is left to assess the evidence of close relations of the deceased who are naturally interested and at the same time were against the appellant. The witnesses have claimed that whenever Sharda used to come to their house she was complaining of ill-treatment and harassment to her by appellant on account of non-payment of amount as demanded by him. If that was so then in all probability any kind of ill-treatment caused to her by the appellant and his partners must have been noticed by the neighbours or at least she would have disclosed to them, more particularly to women residing in the neighbourhood. Absence of this evidence in my opinion coupled with the fact that evidence on demand is totally inconsistent and the evidence on cruelty is vague, the evidence of these witnesses lacks of necessary assurance which is required in criminal trial to bring home the guilt essentially in respect of the offences of the present nature." (emphsis supplied)

46. 2002 CRI. L. J. 3981 "State of Karnataka v. Neelawwa" के मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:"- Demand of dowry and harassment for not fulfilling demand - Proof - Parents of deceased wife not lodging any police

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

shoneekapoor.com

Scanned with ACE Scanner

complaint about alleged demand and torture for same - Complaint filed only after death of deceased - There was complete non-action on part of parents even through other channels such as village Panchayat, elders of family etc. - Acquittal of accused after giving them benefit of doubt under Ss. 3, 4 of Dowry Prohibition Act and under S. 498-A, Penal Code - Not improper." (emphasis added)

47. बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण की फरियादिया [redacted] एवं उसकी मॉ श्रीमती [redacted] पिता [redacted] को जो सुझाव रखे गये है उनसे अभियुक्तगण का यह बचाव दर्शित होता है कि फरियादिया द्वारा टाईप 1 डायबिटिज की बीमारी को अभियुक्त [redacted] से रिश्ता करते समय छुपाया गया और जब दिनांक 27.11.2015 को वरमाला के समय स्टेज पर चक्कर खाकर गिर गई तब उक्त बीमारी को उन्हें ज्ञान हुआ और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता था और इसी कारण उसने अपने पति के साथ संबंध स्थापित नहीं किये।

48. यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु फरियादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 18 में यह स्वीकार किया है कि उसने घरेलू हिंसा के आवेदन में यह कहा है कि उसके पति को ऐसी बीमारी है कि संबंध स्थापित नहीं कर सकते है और यह भी स्वीकार करती है कि उसे डायबिटिज है लेकिन फरियादिया ने अपने कथन में स्वयं यह कहा है कि जब वह दिल्ली में रहती थी तो उसे उसके पति की अलमारी से बहुत सारे लेडीज कपडे और लेडीज अडंरगारमेंटस मिले और एक लडकी [redacted] का विजिटिंग कार्ड था।

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कौरथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

और उससे पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उक्त सारे कपडे व लेडीज अंडरगारमेंटस मिले और एक लडकी [redacted] के है तब फरियादिया का कथन कि अभियुक्त को ऐसी बीमारी है कि वह संबंध स्थापित नहीं कर सकता है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

49. इसके अतिरिक्त फरियादिया की माँ [redacted] अ.सा.02 जिसने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 07.04.2016 को दोपहर के समय [redacted] उसकी पापा, मम्मी व बहिन के साथ अन्य रिश्तेदार आये और उन्हें धमकाया कि वह दहेज के 50 लाख रूपये नहीं दे रहे है जिसका आशय यह निकलता है कि अभियुक्त अनुपम के माता पिता फरियादिया के माता पिता के घर गये और वहां 50 लाख रूपये दहेज की मांग करते हुये डराया धमकाया गया लेकिन उक्त साक्षिया ने अपने कथन में यह भी कहा है कि जब वह दिनांक 07.04.2016 को दिल्ली पहुंचे तो उनकी बेटी घर के बाहर मिली और आरोपीगण घर पर ही थे अर्थात एक तरफ तो उक्त साक्षिया अभियुक्त के माता पिता की उपस्थिति दिनांक 07.04.2016 को फरियादिया के माता पिता के घर भोपाल में होना बताती है वहीं दूसरी तरफ उक्त दिनांक 07.04.2016 को ही अभियुक्तगण की उपस्थिति अभियुक्त अनुपम के साथ दिल्ली में होना बताती है जो भोपाल व दिल्ली के मध्य काफी लंबी दूरी का अंतराल होने से एक ही समय होना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है और जहां कोई बात स्वाभाविक प्रतीत न हो तब तक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती जब कि उसे ठोस साक्ष्य से प्रमाणित न कर दिया जावे, तब [redacted] (अ.सा.02) के कथन फरियादिया [redacted] (अ.सा.01) के कथन से विरोधाभाषी हो जाते हैं क्योंकि फरियादिया [redacted] अ.सा.01 ने न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई कथन नहीं किये है

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

पाल (म.प्र.)

कि अभियुक्त के माता पिता दिनांक 07.04.2016 को दिल्ली में आये थे।

50. फरियादिया [redacted] अ.सा.01 ने अपने कथन में अभियुक्तगण के माता पिता द्वारा उसके घर भोपाल जाकर माता पिता से 50 लाख रूपये व्यापार जमाने के लिये मांग करना बताया और कहती है कि जब वह दिल्ली में थी तब अभियुक्त ने उससे 50 लाख रूपये पुनः मांग की है लेकिन उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पति ने उसे यह नहीं बताया कि उन्हें कौन सा बिजनेस करना है और किस बिजनेस के लिये 50 लाख रूपये की आवश्यकता है तब यहां यह उल्लेखनीय है कि यहां फरियादी पक्ष का यह आक्षेप नहीं है कि जब वह ससुराल गई तो उसके पति व ससुराल वालों ने शादी में कम दहेज देने अथवा डायबिटिज टाईप 1 की बीमारी बताकर उससे 50 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति हेतु मांग की बल्कि फरियादिया का कहना है कि अभियुक्तगण ने उससे व्यापार जमाने के लिये 50 लाख रूपये की मांग की गई जिसे दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किया जाना मान्य किये जाने योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा फरियादिया को 50 लाख रूपये के अवैध दहेज की मांग को लेकर प्रताडित किये जाने संबंधी प्रथम आधार सदेंह से परे प्रमाणित नहीं है।

51. जहां तक अन्य शेष दो आधारों का प्रश्न है जिसमें अभियुक्त का [redacted] नाम की लडकी से प्रेम संबंध होना और अभियुक्त द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित करने में असमर्थ होना लेकिन उक्त आधार धारा 498ए भा.द.सं. में वर्णित क्रूरता की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि धारा 498ए भा.द.सं. के स्पष्टीकरण अनुसार ''क्रूरता'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैथोलिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति खतरा कारित करने की संभावना है, या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

52. इस प्रकार जहां अभियुक्तगण द्वारा फरियादिया को दहेज के लिये 50 लाख रूपये की अवैध मांग को लेकर प्रताडित किया जाना संदेह से परे साबित नहीं हुआ है और शेष अन्य दो आधार प्रताडित किये जाने के संबंध में बताये गये हैं वह इस प्रकृति के नहीं है जो धारा 498ए भा.द. सं. में वर्णित स्पष्टीकरण (क) की परिधि के हो। इस स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को संदेह से परे विश्वसनीय नहीं मानकर उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित नहीं मानकर तथ्य एवं विधि की कोई भूल नहीं की है तब विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

53. अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से जिन पूर्वोक्त न्याय दृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है वे इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उनका लाभ फरियादिया को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि दोषमुक्ति के विरूद्ध की गई अपील में अपीलीय न्यायालय के सीमित अधिकार है और प्रत्येक

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कैथोरिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

(म.प्र.)

व्यक्ति के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। दोषमुक्ति का निर्णय व्यक्ति की निर्दोषता को अतिरिक्त बल प्रदान करता है। यदि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर दूसरा निष्कर्ष भी संभव हो तो भी अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिये, जब तक कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष दूषित/विकृत न हो और उसके कारण घोर अन्याय अथवा न्याय विफल न हुआ हो। इस संदर्भ में निम्न न्यायदृष्टांत मार्गदर्शक है :–

2012 CRI. L. J. 1991 "Govindaraju v. State by Sriramapuram P. S." SUPREME COURT

"10. There is a very thin but a fine distinction between an appeal against conviction on the one hand and acquittal on the other. The preponderance of judicial opinion of this Court is that there is no substantial difference between an appeal against conviction and an appeal against acquittal except that while dealing with an appeal against acquittal the Court keeps in view the position that the presumption of innocence in favour of the accused has been fortified by his acquittal and if the view adopted by the High Court is a reasonable one and the conclusion reached by it had its grounds well set out on the materials on record, the acquittal may not be interfered with. Thus, this fine distinction has to be kept in mind by the Court while exercising its appellate jurisdiction. The golden rule is that the Court is obliged and it will not abjure its duty to prevent miscarriage of justice, where interference is imperative and the ends of justice so require and it is essential to appease the judicial conscience.

54. Also, this Court had the occasion to state the principles which may be taken into consideration by the appellate court while dealing with an appeal against acquittal. There is no absolute restriction in law to review and re-look the entire evidence on which the order of acquittal is founded. If, upon scrutiny, the appellate court finds that the lower court's decision is based on erroneous views and against the settled position of law then the said order of acquittal should be set aside. {See State

12/12/2024
(प्रहलाद सिंह कोमेथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

Scanned with ACE Scanner

(Delhi Administration) v. Laxman Kumar and Ors. [(1985) 4 SCC 476 : (AIR 1986 SC 250)]; Raj Kishore Jha v.State of Bihar and Ors. [AIR 2003 SC 4664]; Inspector of Police,Tamil Nadu v. John David [JT 2011 (5) SC 1 : (AIR 2011 SC (Cri) 1135 : 2011 AIR SCW 2764)]}."

55. अतः अपीलार्थी/फरियादिया की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

56. तदनुसार अपील निराकृत की जाती है।

57. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

58. निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस हो।

स्थानः—भोपाल
दिनांकः—12/12/2024

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित।

12/12/2024

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

सत्य-प्रतिलिपि
अंतर्गत धारा 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872
24/12/24
प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म. प्र.)

shoneekapoor.com

Scanned with ACE Scanner